

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 29/11/11

अधिसूचना संख्या-17/ए3-19/2011- 1247 (17) /स्वा0, विभागीय अधिसूचना संख्या-854(17) दिनांक 18.08.2011 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में ट्यूटर / सिनियर रेजिडेंट के अतिरेक होने के कारण वेतनादि भुगतान हेतु नये चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापन किया गया था। अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पत्रांक 2495 दिनांक 23.08.2011 एवं पत्रांक 2991 दिनांक 05.11.11 द्वारा निम्नांकित सिनियर रेजिडेंट को नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में पदस्थापित विभाग में अतिरेक होने के कारण दूसरे विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध वेतन भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. इन सिनियर रेजिडेंटों की नियुक्ति संविदा के आधार पर वर्ष 2005/2006 में की गई थी एवं सभी राज्य स्वास्थ्य सेवा के नियमित चिकित्सक है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समादेश याचिका सं0-8986/2011 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 08.09.11 में इस संवर्ग के चिकित्सकों के द्वारा दायर वाद में सरकार से विपक्ष में निर्णय हुआ है। सरकार के द्वारा उक्त न्याय निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एल0पी0ए0 दायर है, जो विचाराधीन है। ये चिकित्सक राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हैं, जो सम्प्रति चिकित्सा शिक्षा में कार्यरत रहने के कारण इस मद से वेतन पाते हैं। सरकार के लिए इन्हें कार्य के बदले में भुगतान सुनिश्चित करना बाध्यकारी है।

3. सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित सिनियर रेजिडेंट को अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के अनुशंसा के आलोक में इनके स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति के संबंध में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-854(17) दिनांक 18.08.11 को संशोधित करते हुए इन्हें कॉलम-3 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है तथा पद रिक्त नहीं रहने के कारण दुसरे विभाग के रिक्त पद से अस्थायी तौर पर वेतन भुगतान हेतु निदेश दिया जाता है :-

क्र0	नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थान	पदस्थापित चि0महा0अस्प0 का नाम
1	2	3
1	डा0 नागेन्द्र मोहन सिन्हा, सिनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा प्रतिनियुक्त- नालंदा चि0महा0अस्प0, पटना।	सिनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।
2	डा0 मुकुल कुमार, सिनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा प्रतिनियुक्त- नालंदा चि0महा0अस्प0, पटना।	सिनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।
3	डा0 कृष्णा प्रसाद, सिनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा प्रतिनियुक्त- नालंदा चि0महा0अस्प0, पटना।	सिनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।
4	डा0 विश्वजीत प्रसाद अजाद, सिनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा प्रतिनियुक्त- नालंदा चि0महा0अस्प0, पटना।	सिनियर रेजिडेंट, टी0बी0 एण्ड चेस्ट रोग विभाग के रिक्त पद के विरुद्ध नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।
5	डा0 विभू प्रसाद, सिनियर रेजिडेंट, औषधि विभाग, नालंदा चि0महा0अस्प0, पटना	सिनियर रेजिडेंट, टी0बी0 एण्ड चेस्ट विभाग के रिक्त पद के विरुद्ध नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।

Sam
29/11/11

6	डा0 (श्रीमती) विभा सिन्हा, सिनियर रेजिडेन्ट, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, नालंदा चि0महा0 अस्प0, पटना	सिनियर रेजिडेन्ट, निश्चेतना विभाग के रिक्त पद के विरुद्ध नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना ।
7	डा0 (श्रीमती) निलम कुमारी, सिनियर रेजिडेन्ट, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, नालंदा चि0महा0 अस्प0, पटना	सिनियर रेजिडेन्ट, निश्चेतना विभाग के रिक्त पद के विरुद्ध नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना ।
8	डा0 (श्रीमती) सुषमा शरण, सिनियर रेजिडेन्ट, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, नालंदा चि0महा0 अस्प0, पटना	सिनियर रेजिडेन्ट, निश्चेतना विभाग के रिक्त पद के विरुद्ध नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना ।
9	डा0 (श्रीमती) इशमत खानम, सिनियर रेजिडेन्ट, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, नालंदा चि0महा0 अस्प0, पटना	सिनियर रेजिडेन्ट, निश्चेतना विभाग के रिक्त पद के विरुद्ध नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना ।
10	डा0 (श्रीमती) रीता नारायण, सिनियर रेजिडेन्ट, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, नालंदा चि0महा0 अस्प0, पटना	सिनियर रेजिडेन्ट, निश्चेतना विभाग के रिक्त पद के विरुद्ध नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Sant
29/11/11
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 17/ए3-19/2011- 1247 (17) /पटना, दिनांक- 29/11/11

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधि सिनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/अवर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 17,स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sant
29/11/11
सरकार के अपर सचिव ।